12.5.25

वकील साहब द्वारा। पत्रावली के तथ्य कुछ इस प्रकार हैं प्रार्थी उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रस्तुत पेपरों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी-पक्ष के भी लिखित पत्रावली में अनुतोष मांगा गया है। अतः प्रार्थना पत्र के लिखित विपक्षी अधिनियम का यही है 'मीनासाज' को नहीं कुछ है [illegible] को उत्पन्न नहीं कुछ है [illegible] नहीं कुछ है [illegible] जाता है। पत्रावली पूर्वतन कुछ [illegible] का निकाल पारित करता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमरी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:25:16 IST
Reason: SelfAttested